

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 12.06.2025

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में NBW वांछित/ वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही 13 वारंटी गिरफ्तार

अभियान की कार्यवाही वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध निरंतर रहेगी जारी: एस0 पी0 संतकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा वारंटी (एनबीडब्लू) अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गये अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 26 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका विवरण थानावार निम्नवत है-

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 06 वारंटीगण नाम पता विवरण

01.बिन्दा देवी पत्नी ज्ञानदास निवासी कुसौना कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

02.शकुन्तला देवी पत्नी रामदरश यादव निवासी पेडारी कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

03.बलिराम केवट पुत्र तामेसर निवासी चनहवा बढ़या टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

04.केशव प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व0 मंगल प्रसाद त्रिपाठी निवासी बढ़या ठाठर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

05.शिवकुमार पुत्र जयराम निवासी परसा पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

06.दिलीप पुत्र जयराम निवासी परसा पाण्डेय थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद , हे0का0 मोतीलाल यादव , हे0का0 कय्यूम अंसारी , हे0का0 अजय सिंह , म0का0 अनुराधा भारती।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 वारंटीगण नाम पता विवरण

01.अमरनाथ यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी बढ़या लाला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- उ0नि0 श्री झमई, हे0का0 अजय सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

***थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 126 वाहनों से 1,35,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 126 वाहनों से 1,35,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 204/2025 धारा 108, 3(5) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता धर्मशिला पत्नी गोविन्द निषाद निवासी अगया उर्फ सिदाही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 12.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 11.06.2025 को थाना महुली पर वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पुत्र व अभियुक्त से नाजायाज संबंध होने पर अभियुक्त द्वारा मेरे पुत्र को रात्रि में अपने घर बुलाया गया था। जिसके बाद अभियुक्त के घर मेरे पुत्र का मृत्यु दशा में शव मिला था जिसके संबंध में थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष महुली श्री रजनीश राय, का0 अरविन्द यादव, का0 अभिषेक सिंह, म0का0 नहा प्रसाद।